उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-45/2018/एस-2-2070/दस-2018-88क(6)/2017
लखनऊ :: दिनॉक:: 02 सितम्बर, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क की अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को एतदद्वारा उनके अपने कार्यो के साथ-साथ वित्त नियंत्रक, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी के पद का भी अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें।

2- श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्या-45/2018/एस-2-2070(1)/दस-2018, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग,उ0प्र0शासन को धर्मार्थ कार्य विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-1269/57-2018-3(70)/2013 टी0सी0-1, दिनॉक 28-8-2018 के क्रम में।
2- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
8- श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।